एस.टी.सं0 92 / 2018
राज्य बनाम रवीन्द्र नाथ वर्मा आदि
दिनांक 25.02.2019

आज पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त रविन्द्रनाथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है। विद्वान अधिवक्तागण भी उपस्थित हैं, प्रार्थनापत्र 21ख पर सुना गया जो अभियुक्त की ओर से इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 29.06.18 को चिकित्सक डॉ0 कुमार गुप्ता की मुख्य परीक्षा अंकित की गई लेकिन उक्त साक्षी से प्रति परीक्षा नहीं हुई है क्योंकि उस दिन अभियुक्त के अधिवक्ता की तबियत खराब होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं थे, स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था। प्रार्थना की गई है कि उक्त साक्षी को प्रति परीक्षा हेतु तलब किया जाये।

अभियोजन की ओर से प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 29.06.18 को साक्षी पी0डब्ल्यू01 डॉ0 कुमार गुप्ता जिन्होंने मृतका का शव विच्छेदन किया था, का साक्ष्य अभिलिखित किया गया परन्तु मुख्य परीक्षा के उपरान्त अभियुक्त की ओर से जिरह हेतु अधिवक्ता के उपस्थित न होने के कारण जिरह का अवसर समाप्त कर दिया गया। यह भी विदित होता है कि अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता की अस्वस्थता के आधार पर स्थगन प्रार्थनापत्र 9ख भी दिया गया था जो निरस्त किया गया। पत्रावली में उक्त दिनांक के पश्चात अग्रेतर साक्षी पी0डब्ल्यू02 गौरव का साक्ष्य मात्र ही अभिलिखित किया गया है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि प्रार्थनापत्र अनावश्यक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया हो। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक, द्वारा यह अवगत कराया गया है कि चिकित्सक जनपद आगरा में ही पदस्थ हैं। समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थनापत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 21ख इस आशय से स्वीकार किया जाता है कि यदि साक्षी पी0डब्ल्यू01 डॉ0 कुमार गुप्ता के नियत दिनांक पर उपस्थित होने पर भी किसी भी कारण से अभियुक्त की ओर से उनसे प्रति–परीक्षा नहीं की जाती है तब यह आदेश स्वतः निष्फल समझा जायेगा एवं पूर्ववत प्रति–परीक्षा का अवसर समाप्त समझा जायेगा। तद्नुरूप अभियोजन को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 13.03.19 हेतु उक्त साक्षी पी0डब्ल्यू01 डॉ0 कुमार गुप्ता की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करना सुनिश्चित करें।

हस्ताक्षरित / –
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
आगरा।